

102



विशेषीत 50. विशेषीत 50.

निगरानी - 61.77/2018/सीधी/भू.रा.

श्रीमती कृष्णा सिंह — पत्नी लाल प्रताप सिंह, उम्र-50 वर्ष, पेशा-(आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) निवासी ग्राम-छवारी, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

निगरानीकर्ता

22.8.18 के आदेश के अन्तर्गत 24.8.18 को मन्तु। प्रारंभिक तक हेतु दिनांक 31.8.18 नियम।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालिअर

बनाम

1. हंसलाल अगरिया तनय देवराज अगरिया, उम्र-54 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-छवारी, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)
2. राजकुमार अगरिया तनय देवराज अगरिया, उम्र-52 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-छवारी, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)
3. पण्डा अगरिया तनय देवराज अगरिया (मृत)
4. मुस0 दासिया बेवा देवराज अगरिया उम्र-60 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-छवारी, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)
5. शंभू अगरिया तनय पदोले अगरिया, उम्र-64 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-छवारी, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)
6. म0प्र0शासन

उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक / 13 / अपील / 2015-16

पारित आदेश दिनांक 20.09.2018

पारित अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा

अधिनियम

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

22/9/18

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6177/2018/सीधी/भू.रा.

कृष्णा विरूद्ध हंसलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 13/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 05/3/2019</p>